—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 36/2016

उनवान

गुजंन भारद्वाज पत्नी श्रीष भारद्वाज जाति भारद्वाज ब्राह्मण निवासी अंगीरा नगर, बिहारी गंज, अजमेर।

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. रामावतार
2. शिव प्रसाद पि रामगोपाल जाति वैष्णव निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित
3 राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 24.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 के 1/2 हिस्से की आराजी प्रार्थी ने दिनांक 03.06.2014 को क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजव अभिलेख में कराने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष दिनांक 11.02.2015 व उसके बाद भी आवेदन पेश किया किन्तु विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण की कार्यवाही नही की गयी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने मूल वाद में जवाब पेश कर इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:07:36 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 रामावतार के पावॅर आफॅ अटोर्नी होल्डर से दिनांक 13.6.14 को क्रय की। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से प्रथम दृष्टया इंकार नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही होने के कारण भूमि का पुनः बैचान किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य से ही होगा। किन्तु भूमि प्रार्थी द्वारा क्रय किये जाने के कारण उसकी सुरक्षा व वाद बहुलता रोकने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 कोपाबंद किया जाना न्यायोचित है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:07:36 IST
Reason: SelfAttested